विद्यालयी शिक्षा में विधिक शिक्षा द्वारा न्याय, समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने वाले नए कानूनों की भूमिका का विश्लेषण

गौरी श्रीवास्तव*

हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नामक नए आपराधिक कानून बनाकर लागू किए गए हैं। ताकि समय पर न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करते हुए व्यवहार में लोकतंत्र को मज़बूत किया जा सके। ये कानून औपनिवेशिक विरासत को खत्म करने और आपराधिक कानूनों को समकालीन सामाजिक वास्तविकताओं और आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों, महिलाओं और बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना है, ताकि उनकी गरिमा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। नए आपराधिक कानून वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, सुरक्षा अधिकारियों, परामर्शदाताओं और आश्रयों के माध्यम से पीड़ितों की सहायता, सुरक्षा, मुआवज़ा और पुनर्वास के लिए तंत्र पेश करके सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मज़बूत प्रणाली स्थापित करते हैं। यह आतंकवाद के खिलाफ़ सुरक्षा उपायों को मज़बूत बनाता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं, जो न्याय की व्यापक पहुँच और समय पर वितरण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं एवं नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर केंद्रित है।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

लोकतंत्र की जड़ों को मज़बूत करने के लिए बदलते समाज की माँगों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक न्याय प्रणाली को गतिशील बनाना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि आपराधिक कानूनों के साथ सभी कानून नागरिकों के अधिकारों एवं गरिमा को सुनिश्चित करें, ताकि वे अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग कर सकें तथा किसी भी प्रकार के अवरोध के बिना कर्तव्यों का पालन कर सकें। *भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023* और *भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023* के अधिनियम से समय पर न्याय प्रदान करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, लोगों को कानूनों में विश्वास रखने तथा मानवता की कल्याण के लिए

**आचार्य*, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली 110016

प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह सभी को सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

समग्र कानूनी साक्षरता के हिस्से के रूप में नए आपराधिक कानून, लोकतंत्र तथा मानवाधिकारों को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सहायक होंगे। संहिता में वर्णित निवारण की प्रक्रियाएँ पीड़ित केंद्रित हैं, जो पारदर्शिता, जवाबदेही एवं न्याय पर बल देती हैं। शिकायतों को दर्ज़ करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक फर्स्ट इनफ़ॉर्मेशन रिपोर्ट (ई–एफ.आई.आर.) का उपयोग, तलाशी और जब्ती की घटनाओं की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग आदि को बेहतर बनाने और पुलिस की जवाबदेही को प्रोत्साहित करने तथा लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगी। इसके अलावा सभी बाधाओं और प्रतिबंधात्मक क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को हटाने से कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज़ कर सकता है, जिससे देश के सभी नागरिकों को शीघ्र निवारण मिलेगा। संहिता, एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण और सभी प्रकार के अपराधों को संबोधित करने में सहायक होगी। देश के भविष्य को बेहतर बनाने में इन कानूनों के बारे में आपकी जागरूकता आवश्यक है, क्योंकि इससे आप अपराधों एवं हिंसा को रोकने में सहायता कर सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहलें

विधिक शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, इस क्षेत्र से संबंधित बेहतरीन प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों तथा नई तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए, जिससे सभी के लिए और सही समय पर न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही, विधिक शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों से संवर्धित एवं उनके आलोक में बनाया जाना चाहिए। लोकतंत्र, कानून के शासन और मानवाधिकारों के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विधिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के साथ-साथ साक्ष्य-आधारित तरीके से, विधिक विचार प्रक्रिया के इतिहास, न्याय के सिद्धांतों, न्यायशास्त्र के अभ्यास और अन्य संबंधित विषयों का उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। विधिक शिक्षा की पेशकश करने वाले राज्य संस्थानों को भविष्य के वकीलों और न्यायाधीशों के लिए द्वि-भाषी शिक्षा की पेशकश पर विचार करना चाहिए जिसमें एक भाषा अंग्रेज़ी और दूसरी उस राज्य की भाषा हो जिसमें यह विधिक शिक्षा संस्था स्थित है। *(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अनुच्छेद 20.4, पृष्ठ संख्या 82*)

औचित्य

गृह मामलों पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 111वीं (2005), 128वीं (2006) और 146वीं (2010) रिपोर्ट में संबंधित अधिनियमों में टुकड़ों-टुकड़ों में संशोधन करने के बजाय संसद में एक व्यापक कानून पेश करके देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की गहन समीक्षा करने की सिफ़ारिश की थी। तदनुसार, संवैधानिक और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप, गृह मंत्रालय ने सभी को सुलभ और किफायती न्याय प्रदान करने और नागरिक केंद्रित कानूनी संरचना बनाने के उद्देश्य से आपराधिक कानूनों (भारतीय दंड संहिता, 1860,

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973) की व्यापक समीक्षा की (विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार)।

सुझाई गई शैक्षणिक प्रक्रियाएँ

विद्यार्थियों को हाल ही में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए प्रत्येक आपराधिक कानून की महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान कराने के लिए विद्यार्थियों द्वारा विविध शैक्षणिक प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। इन शैक्षणिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन करें एवं पूर्व के आपराधिक कानूनों के साथ अंतरों की पहचान करें साथ ही प्रश्नोत्तरी, लघु उत्तरीय प्रश्न, कक्षा के अंतगर्त चर्चाओं के आयोजन कर सकते हैं। इसके अलावा, आपके विद्यालय में मौजूद विभिन्न क्लबों या सदनों में कई सहभागी गतिविधियों के माध्यम से आप विद्यार्थियों को प्रत्येक आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए चर्चा आयोजित कर सकते हैं।

नए कानूनों की मुख्य विशेषताएँ

- **सुगमता**— ई–एफ.आई.आर. और ज़ीरो एफ.आई.आर. (किसी भी पुलिस स्टेशन पर एफ.आई.आर. दर्ज करना) की शुरूआत से रिपोर्टिंग आसान हो गई है।
- **अपराधों की स्पष्ट परिभाषा**— आतंकवाद, संगठित अपराध और छोटे अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
- **प्रौद्योगिकी का एकीकरण**— मज़बूत और पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का एकीकरण किया गया है।
- **सशक्त अभियोजन**— इन अधिनियमों में मामलों का व्यवस्थित और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर तक समर्पित अभियोजन संरचना की शुरूआत की गई है।
- **वैकल्पिक दंड**— सामुदायिक सेवा को निवारक के नए रूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- **गवाह संरक्षण**— राज्य सरकारें गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गवाह संरक्षण योजना तैयार करेंगी और उसे अधिसूचित करेंगी।
- **हितधारक जागरूकता**— सभी हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया है।
- **सुव्यवस्थित मजिस्ट्रेटी**— बेहतर कामकाज के लिए मजिस्ट्रेटी प्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया है।
- **कम कारावास**— जेलों में भीड़-भाड़ कम करने और सामुदायिक सेवा शुरू करने जैसे उपायों का उद्देश्य जेलों में भीड़-भाड़ कम करना है।
- **समयबद्ध न्याय**— आपराधिक न्याय के विभिन्न चरणों के लिए विशिष्ट समय सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।
- **सरलीकृत प्रक्रियाएँ**— न्यायालय के भीतर दक्षता में सुधार के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।
- **सर्वव्यापी एकीकरण**— अपराध स्थल से लेकर सभी पहलुओं, जैसे— जाँच से लेकर आरोप-पत्र, परीक्षण और अपील तक में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।

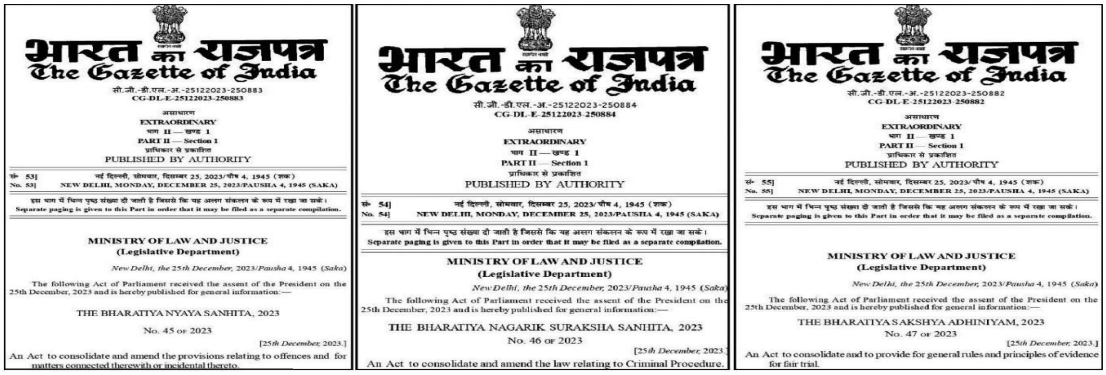

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-25122023-250883
CG-DL-E-25122023-250883
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं॰ 53] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 25, 2023/पौष 4, 1945 (शक)
No. 53] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 25, 2023/PAUSHA 4, 1945 (SAKA)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
New Delhi, the 25th December, 2023/Pausha 4, 1945 (Saka)
The following Act of Parliament received the assent of the President on the 25th December, 2023 and is hereby published for general information:—
THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023
No. 45 OF 2023
[25th December, 2023.]
An Act to consolidate and amend the provisions relating to offences and for matters connected therewith or incidental thereto.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-25122023-250884
CG-DL-E-25122023-250884
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं॰ 54] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 25, 2023/पौष 4, 1945 (शक)
No. 54] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 25, 2023/PAUSHA 4, 1945 (SAKA)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
New Delhi, the 25th December, 2023/Pausha 4, 1945 (Saka)
The following Act of Parliament received the assent of the President on the 25th December, 2023 and is hereby published for general information:—
THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023
No. 46 OF 2023
[25th December, 2023.]
An Act to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-25122023-250882
CG-DL-E-25122023-250882
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं॰ 55] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 25, 2023/पौष 4, 1945 (शक)
No. 55] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 25, 2023/PAUSHA 4, 1945 (SAKA)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
New Delhi, the 25th December, 2023/Pausha 4, 1945 (Saka)
The following Act of Parliament received the assent of the President on the 25th December, 2023 and is hereby published for general information:—
THE BHARATIYA SAKSHYA ADHINIYAM, 2023
No. 47 OF 2023
[25th December, 2023.]
An Act to consolidate and to provide for general rules and principles of evidence for fair trial.

स्रोत— गृह मंत्रालय

- **साक्ष्य संकलन में वृद्धि**— अपराध स्थलों, तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी साक्ष्य संग्रहण और पारदर्शिता में सुधार का बेहतर उपाय किया गया है।
- **वैज्ञानिक जाँच**— सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए अनिवार्य फोरेंसिक जाँच का प्रावधान किया गया है।

भारतीय न्याय संहिता 2023

यह संहिता भारत का नया व्यापक दंड कानून है जो आधुनिक समय के मानकों के अनुरूप मूलभूत आपराधिक कानूनों को लाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 (बी.एन.एस.) भारतीय दंड संहिता 1860 (आई.पी.सी.) की जगह लेती है जिसे ब्रिटिश सरकार ने अधिनियमित किया था। बी.एन.एस. में आई.पी.सी. के तहत 511 धाराओं से अलग कुल 358 धाराएँ हैं। पहले, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध आई.पी.सी. में कहीं-कहीं ही उल्लेखित थे, लेकिन बी.एन.एस. 2023 के तहत उन सभी को अध्याय V में समेकित किया गया है। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार आदि जैसे यौन अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा के साथ कार्रवाई शुरू की गई है और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए एक समेकित अध्याय (धारा 63–78) प्रदान किया गया है। बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। बी.एन.एस. 2023 ने धारा 76 और 77 के तहत अपराधियों के लिए लिंग तटस्थता और धारा 141 के तहत पीड़ितों के लिए लिंग तटस्थता की शुरूआत की है। पहली बार सामुदायिक सेवा को मृत्युदंड, आजीवन कारावास (कठोर या सरल), संपत्ति की जब्ती और ज़ुर्माने के साथ सजा (धारा 4 के तहत) के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही कारावास की अवधि और जुर्माने में वृद्धि की गई है। मानव तस्करी के उद्देश्य से 'शोषण' को इंगित करने के लिए 'भिक्षावृत्ति' शब्द जोड़ा गया है।

बी.एन.एस. की धारा 101(2) में मॉब लिंचिंग के बारे में उल्लेख किया गया है—'जब पाँच या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या

आजीवन कारावास या कम से कम सात साल की अवधि के कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा।'

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बी.एन.एस.एस.) देश के सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा, संरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक रूपरेखा की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह कानून पीड़ित-केंद्रित है जो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, सुरक्षा अधिकारियों, परामर्शदाताओं और आश्रयों के माध्यम से सुरक्षा, मुआवज़ा और पुनर्वास प्रदान करता है।

बी.एन.एस.एस. की मुख्य विशेषताएँ

क्रमांक संख्या	बी.एन.एस.एस.
1. विचाराधीन व्यक्ति की नजरबंदी	बी.एन.एस.एस. ने कहा कि यह प्रावधान निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होगा— (क) आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध। (ख) ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित है।
2. चिकित्सा परीक्षण	बी.एन.एस.एस. में प्रावधान है कि कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसी जाँच का अनुरोध कर सकता है।
3. फोरेंसिक जाँच	बी.एन.एस.एस. कम से कम 7 साल की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जाँच की अनिवार्य बनाता है। फोरेंसिक विशेषज्ञ फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपराध स्थलों का दौरा करेंगे और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करेंगे। यदि राज्य के पास फोरेंसिक सुविधा नहीं है तो वह किसी अन्य राज्य में ऐसी सुविधा का उपयोग करेगा।
4. हस्ताक्षर और अँगुली चिह्न	बी.एन.एस.एस. ने इसमें अँगुली के निशान और आवाज़ के नमूने को भी शामिल कर लिया है, इससे ये नमूने ऐसे व्यक्ति से भी एकत्र किए जा सकते हैं जिसे गिरफ़्तार नहीं किया गया हो।

5. गवाह संरक्षण	न्याय देने में गवाहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे न्यायालय को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। संभावित नुकसान या धमकी से उनकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बी.एन.एस.एस. ने गवाह संरक्षण योजना शुरू की है। राज्य सरकारों को ऐसी योजनाओं का मसौदा तैयार करने और उन्हें अधिसूचित करने की ज़िम्मेदारी दी गई है।
6. नामित पुलिस अधिकारी	प्रत्येक जिले और पुलिस स्टेशन में कम से कम सहायक उपनिरीक्षक रैंक का एक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। उनकी ज़िम्मेदारी सभी गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम, पते और आरोपों के अभिलेख रखने होंगे। यह जानकारी प्रत्येक पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय पर प्रमुखता से, संभवतः डिजिटल रूप में प्रदर्शित की जाएगी।
7. ऑडियो की परिभाषाएँ वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन और इलेक्ट्रॉनिक संचार	बी.एन.एस.एस. 2023 में कुछ शब्दों को स्पष्ट करने के लिए नई परिभाषाएँ पेश की गई हैं। ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहचान, तलाशी और जब्ती या साक्ष्य जैसी रिकॉर्डिंग प्रक्रियाओं, इलेक्ट्रॉनिक संचार संचारित करने और राज्य सरकार के नियमों द्वारा निर्धारित अन्य उद्देश्यों के लिए किसी भी संचार उपकरण का उपयोग शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक संचार का तात्पर्य टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ऑडियो-वीडियो प्लेयर, कैमरा या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप, जैसे— इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से लिखित, मौखिक, चित्रात्मक जानकारी या वीडियो सामग्री के प्रसारण या हस्तांतरण से है।
8. परीक्षण और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जाएगी।	बी.एन.एस.एस. सभी कानूनी कार्यवाहियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करने में सक्षम बनाता है। इसमें समन और वारंट जारी करना, तामील करना और निष्पादित करना, शिकायतकर्ताओं और गवाहों की जाँच करना, पूछताछ और परीक्षणों में साक्ष्य रिकॉर्ड करना तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार या ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपील या अन्य कार्यवाही करना शामिल है।
9. समन इलेक्ट्रॉनिक सेवा समन	बी.एन.एस.एस. 2023 के तहत समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो एन्क्रिप्टेड प्रारूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार विधि के माध्यम से दिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक समन में न्यायालय की मुहर या डिजिटल हस्ताक्षर की छवि शामिल होनी चाहिए, ताकि उनकी प्रामाणिकता और कानूनी वैधता सुनिश्चित हो सके।
10. पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण	नए कानूनों में पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाने पर बल देता है। यह पीड़ितों को आपराधिक कार्यवाही में आवश्यक हितधारकों के रूप में स्वीकार करता है, उन्हें भागीदारी के अधिकार और सूचना के लिए विस्तारित अधिकार प्रदान करता है। ये सुधार पीड़ितों की ज़रूरतों और अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें अभूतपूर्व अधिकारों और अवसरों के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित केंद्रिंत बनाना है।

क्या आप जानते हैं?

- संज्ञेय अपराध गंभीर अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ़्तारी कर सकती है, जबकि असंज्ञेय अपराध कम गंभीर होते हैं और इनमें गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता होती है।
- अपराधों को जमानती और गैर-जमानती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे यह निर्धारित होता है कि अभियुक्त को अधिकार के रूप में या अदालत के विवेक पर जमानत पर रिहा किया जा सकता है या नहीं।
- जहाँ कोई मामला दो या दो से अधिक अपराधों से संबंधित है जिनमें से कम से कम एक संज्ञेय है तो इसे संज्ञेय मामला माना जाएगा।
- पुलिस अधिकारियों को गैरकानूनी हिरासत को रोकने के लिए गिरफ़्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है।

बी.एन.एस.एस. 2023 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आई.ई.ए.) को भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बी.एस.ए.), 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसने डिजिटल तरीकों को समायोजित करके साक्ष्य कानून के संगठन को बढ़ावा दिया। 'दस्तावेजों' की परिभाषा का विस्तार करके इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ई-मेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप, एस.एम.एस., वेबसाइट, स्थानिक साक्ष्य और उपकरणों पर उपलब्ध संदेश शामिल किए गए हैं, जिनका उपयोग अदालतों में सबूत के तौर पर किया जा सकता है और इससे कागज़ की किताबों के ढेर से मुक्ति मिलेगी।

बी.एस.ए. की विशेषताएँ

प्राथमिक साक्ष्य— वर्तमान में इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड शामिल होंगे। बी.एस.ए., 2023 की धारा 61 यह सुनिश्चित करती है कि डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अन्य दस्तावेजों की तरह ही कानूनी प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता होगी।

द्वितीयक साक्ष्य— इनमें यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल रूप से बनाई गई प्रतियाँ शामिल होंगी। जैसे— पूछे गए प्रश्नों के दस्तावेजों की प्रमाणिकता की मौखिक स्वीकृति लेना।

मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त संचार की जाँच करने से न्यायालयों को रोकने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया है।

विशेषज्ञ— बी.एस.ए. ने विदेशी कानून, विज्ञान या कला या किसी अन्य क्षेत्र को जोड़कर विशेषज्ञों की परिभाषा को बढ़ाया है। परिभाषा में विदेशी कानून, विज्ञान या कला को जोड़कर जो अपनी राय दे सकता है।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा अधिनियमित नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 न्याय, समानता और समावेशिता सुनिश्चित करते हैं। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं, जो न्याय की व्यापक पहुँच और समय पर वितरण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं एवं नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर केंद्रित है। यह देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हुए व्यवहार में लोकतंत्र को मज़बूत करने का भी प्रयास करते हैं। सभी प्रकार के अपराधों से निपटने में पारदर्शिता और निष्पक्षता इन नए कानूनों की पहचान है।

अतः जो आयाम इन कानूनों को आधुनिक बनाते हैं, वे सबसे पहले पुराने औपनिवेशिक कानूनों को खत्म करते हैं तथा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, संगठित अपराध तथा आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करता है, बहाली एवं पुनर्वास पर ज़ोर देने के साथ सामुदायिक सेवा पर बल देता है, गवाह सुरक्षा योजना इन कानूनों का एक मुख्य बिंदु है, बेहतर कामकाज के लिए मैजिस्ट्रसी को सुव्यवस्थित करता है, आपराधिक न्याय के विभिन्न चरणों के लिए समय-सीमा निर्धारित करता है, ई-एफ.आई.आर. और जीरो-एफ.आई.आर. के लिए प्रौद्योगिकी का एकीकरण करता है, जिससे रिपोर्टिंग तंत्र मज़बूत होता है तथा न्याय चाहने वाले सभी लोगों के लिए एक सुदृढ़ एवं पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है।

संदर्भ

एड्मिनिसट्रेशन ऑफ़ क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया. https://www.allahadahighcourt.in/event/admin of criminal justice in india.html 18 अगस्त 2024 को प्राप्त किया.

कानूनी शब्दावली. 2015. भारत सरकार, नई दिल्ली

गृह मंत्रालय, मार्च 2003. *कमेटी ऑन रिफोर्मस ऑफ़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम*, रिपोर्ट प्रथम संस्करण. भारत सरकार. https://www.mha.gov.in/sites/default/files/criminal justice_system.pdf 26 जुलाई, 2024 को प्राप्त किया.

गृह मंत्रालय, न्यू क्रिमिनल लॉ, https://www.mha.gov.in/en/commoncontent/new-criminal-laws 18 अगस्त 2024 को प्राप्त किया.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो. 2022. *भारत में अपराध*. सांख्यिकी खंड I, गृह मंत्रालय. भारत सरकार. नई दिल्ली 110037.

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ निर्णय

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लिमैनटेशन गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, 29 फरवरी, 2024 https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2024/may/doc2024522337701.pdf 4 अगस्त, 2024 को प्राप्त किया.

निशिथ देसाई एसोसिएट्स लीगल एंड टैक्स काउंसलिंग वर्ल्डवाइड, 12 जनवरी, 2024, https://nishithdesai.com/NewsDetails/13888 4 अगस्त, 2024 को प्राप्त किया.

बतूल, एल. 2014. *साक्ष्य का कानून*. केंद्रीय विधि एजेंसी

ब्यूरो ऑफ़ पोलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2 सितंबर, 2024 को https://bprd.nic.in/uploads/pdf/Women,%20Children%20and%20the%20New%20Criminal%20Laws%20(1).pdf

भारत का राजपत्र, *भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता*, 2023 क्रमांक 46, 20231

भारत का राजपत्र, *भारतीय साक्ष्य अधिनियम*, 2023

भारत का राजपत्र, *भारतीय न्याय संहिता*, 2023. (2023 का अधिनियम 45)

रतनलाल और धीरजलाल. 2022. *साक्ष्य का कानून,* लेक्सिसनेक्सिस

रेवंपिंग इंडियास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम: बी.एन.एस., बी.एन.एस.एस. ईएनडी बीएसबी, https://www.pwc.in/assets/pdfs/consulting/forensic-services/revamping-indias-criminal-justice-system-bns-bnss-and-bsb.pdf 26 जुलाई, 2024 को प्राप्त किया.

https://www.scconline.com/blog/post/2023/12/31/key-highlights-of-the-three-new-criminal-laws-introduced-in-2023/ 26 जुलाई, 2024 को प्राप्त किया.

विधि आयोग की रिपोर्ट.

सारथी, वी.पी. 2013. *साक्ष्य का कानून*. ई.बी.सी. एक्सप्लोरर

श्रीवास्तव, गौरी और अन्य. 2024–25. *पाठ्यक्रम डेवलपर्स के लिए कानूनी साक्षरता पुस्तिका*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

https://main.sci.gov.in/supremecourt/2016/14961/14961 2016 judgment 06-Sep-2018.pdf से प्राप्त किया.

248वीं रिपोर्ट संसदीय स्थायी की उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट_भारतीय_साक्ष्य_बिल_2023.pdf (prsindia.org)